



एकल पीठ

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सिविल पुनरीक्षण 98/2006

आवेदकगण:

1. छोदू देवांगन, आत्मज खोरबहरा देवांगन, आयु लगभग 16 वर्ष, द्वारा-नैसर्गिक अभिभावक एवं पिता खोरबहरा, आत्मज मंगतू देवांगन
2. खोरबहरा, आत्मज मंगतू देवांगन, आयु लगभग 52 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम- खरोरा, थानाखरोरा, जिला- रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

अनावेदकगण:

1. श्रीमती उर्मिलाबाई, पति जगतराम देवांगन (कोष्टा), आयु लगभग 30 वर्ष
2. पवन कुमार, आत्मज जगत राम देवांगन(कोष्टा), आयु लगभग 2 वर्ष, अवयस्क द्वारा नैसर्गिक अभिभावक एवं माता श्रीमती उर्मिलाबाई, पति स्व. जगत राम देवांगन, व्यवसाय-गृहणी, निवासी सिरी, पोस्ट- कनकी, थाना खरोरा, तहसील- तिल्दा, जिला-रायपुर (छ.ग.)
3. आम जनता
4. शाखा प्रबंधक, देना बैंक, शाखा-खरोरा, जिला- रायपुर(छ.ग.)

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 384 (3) के

अंतर्गत प्रस्तुत सिविल पुनरीक्षण



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सिविल पुनरीक्षण क्र. 98/2006

छोटू देवांगन एवं अन्य

विरुद्ध

श्रीमती उर्मिलाबाई एवं तीन अन्य

आदेश हेतु प्रकरण दिनांक 17.11.2006 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

17.11.2006





प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

समक्ष: माननीय श्री न्यायमूर्ति दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 98/2006

छोटू देवांगन एवं अन्य

विरुद्ध

श्रीमती उर्मिलाबाई एवं तीन अन्य.

उपस्थिति:

आवेदकों के लिए श्री जे.के. गुप्ता, अधिवक्ता।

प्रत्यर्था क्र. 1 एवं 2 के लिए श्री एम.के. भादुडी, अधिवक्ता।

आदेश

(आज दिनांक 17 नवंबर, 2006 को पारित किया गया)

यह सिविल पुनरीक्षण 11वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), रायपुर, छ.ग. द्वारा विविध सिविल अपील क्रमांक 05/2006 में पारित आदेश दिनांक 19 जून, 2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उत्तराधिकार प्रकरण क्र.36/2003 में षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, रायपुर द्वारा



अनावेदकों के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया था की पुष्टि की गई थी।

2. स्वीकार्य रूप से, अनावेदक क्र.1-श्रीमती उर्मिलाबाई दिवंगत जगत राम की विधवा है और अनावेदक क्र.2-पवन कुमार दिवंगत जगत राम का पुत्र है, जिनकी शाखा कार्यालय देना बैंक, खरोरा में उनकी मृत्यु दिनांक 11.04.2003 को 65049/- रुपये और 14,902/- रुपये के परिपक्वता मूल्य की दो जमा राशियाँ थीं। जगत राम देवांगन जमा करते समय अविवाहित थे और जमा करते समय उन्होंने अपने माता-पिता परथनीन और मंगतू देवांगन और भतीजे अवयस्क छोदू देवांगन को अभिभावक रामेश्वर, खोरबहरा के पुत्र, आवेदक क्र.1 के माध्यम से नामित किया था।

3. अनावेदिका उर्मिला बाई एवं उसके अवयस्क पुत्र पवन ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अंतर्गत पूर्वोक्त राशि हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा नोटिस जारी किया गया था। आवेदकों/पुनरीक्षणकर्ताओं ने न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति नहीं उठाई। शाखा प्रबंधक, देना बैंक, खरोरा ने, हालांकि, न्यायालय के समक्ष यह आपत्ति उठाई कि मृतक ने एक जमा में छोदू को अभिभावक रामेश्वर के माध्यम से नामित किया था तथा और बरतनीन देवांगन तथा मंगतूराम



देवांगन को दूसरे जमा में नामित किया था, जो जगत राम द्वारा जमा की गई राशियाँ प्राप्त करने के हकदार थे। बरतनीन देवांगन मृत हैं।

4. अनावेदिका उर्मिला बाई ने अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया और साक्षियों भूखनलाल अ.सा.2 तथा मनशा राम अ.सा.3 का परीक्षण यह सिद्ध करने के लिए कराया कि वह जगत राम की विधवा थीं और पवन कुमार जगत राम का पुत्र था। षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, रायपुर ने आदेश दिनांक 28.08.2004 के माध्यम से शाखा प्रबंधक, देना बैंक, खरोरा के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि राशि नामित व्यक्तियों को देय थी और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अनावेदकों के पक्ष में समान हिस्से में जारी किया था।

5. उक्त आदेश से व्यथित होकर, यहाँ के आवेदकों ने 11वे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायपुर के समक्ष विविध सिविल अपील क्रमांक 05/ 2006 प्रस्तुत की, जिसे आदेश दिनांक 19.06.2006 द्वारा खारिज कर दिया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपील परिसीमा द्वारा वर्जित थी तथा उर्मिला बाई और पवन कुमार जगत राम के विधिक उत्तराधिकारी होने के नाते स्वर्गीय जगत राम देवांगन द्वारा देना बैंक, खरोरा शाखा में जमा की गई राशि प्राप्त करने के हकदार थे।

6. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री जे.के. गुप्ता द्वारा इस सिविल पुनरीक्षण में उठाया गया एकमात्र बिंदु यह है कि नामित व्यक्ति हिंदू उत्तराधिकार



अधिनियम की धारा 8 की अनुसूची 1 में उल्लिखित वास्तविक वारिसों के अपवर्जन में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने के हकदार थे । इसके विपरीत, अनावेदक क्र. 1 एवं 2 के लिए श्री मलय कुमार भादुड़ी, विद्वान अधिवक्ता ने आर.एस. चतुर्वेदी एवं अन्य विरुद्ध स्नेहलता चतुर्वेदी¹, श्रीमती सरबती देवी एवं अन्य विरुद्ध श्रीमती ऊषा देवी² एवं पूरन प्रसाद शर्मा विरुद्ध राजेश आत्मज राधेश्याम एवं अन्य³ का अवलंब यह तर्क देते हुए किया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने की संक्षिप्त कार्यवाही में, जमा करते समय स्वर्गीय जगत राम देवांगन द्वारा किए गए नामांकन का मात्र तथ्य विधिक उत्तराधिकारियों को उनके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अधिकार को नहीं छीनता है ।

7. परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के पश्चात, मुझे इस सिविल पुनरीक्षण में कोई गुण-दोष नहीं दिखता । भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अंतर्गत कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की होती है । यहाँ आवेदकों ने न्यायालय द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन जारी करने के बावजूद संक्षिप्त कार्यवाहियों में भाग नहीं लिया । अनावेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से यहाँ स्पष्ट रूप से साबित हुआ कि वे जगत राम के विधिक उत्तराधिकारी थे, जैसा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की अनुसूची 1 में उल्लिखित है


1 2005 (2) C.G.L.J.

2 AIR 1984 SC 346

3 1997 (2) M.PL.J.419



और यह कि अनावेदकों के पक्ष में नामांकन जगत राम देवांगन द्वारा उर्मिला बाई से विवाह के पूर्व किया गया था। आर.एस. चतुर्वेदी (पूर्वोक्त 1) के प्रकरण में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संपत्ति को उत्तराधिकार के माध्यम से पाने का कोई विधिक अधिकार दिए बिना, नामांकन केवल उस व्यक्ति को राशि प्राप्त करने की अनुमति देता है जिसके पक्ष में नामांकन किया गया है। सरबती देवी एवं अन्य (पूर्वोक्त 2) के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बीमा अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत किया गया मात्र एक नामांकन विधिक उत्तराधिकारियों को उन पर शासित उत्तराधिकार के नियम के सम्मति में राशि का दावा करने से अपवर्जित नहीं करता है। पूरन प्रसाद शर्मा (पूर्वोक्त 3) के प्रकरण में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अंतर्गत कार्यवाहियाँ संक्षिप्त कार्यवाहियाँ हैं और विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी होने पर नामित व्यक्तियों के पास अपने अधिकार की घोषणा के लिए अलग सिविल वाद दाखिल करने का उपचार उपलब्ध था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 की अनुसूची 1 के अनुसार विधवा और पुत्र मृतक के विधिक उत्तराधिकारी हैं। विद्वान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, रायपुर, के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उत्तराधिकार प्रकरण क्रमांक 36/ 2003 में, विद्वान व्यवहार न्यायाधीश ने मृतक की विधवा और पुत्र के पक्ष में जो वास्तविक विधिक उत्तराधिकारी थे, जैसा





कि हिंदू की धारा 8 की अनुसूची 1 में उल्लिखित है, के पक्ष में उचित रूप से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया । जगत राम देवांगन द्वारा किए गए नामांकन के मात्र तथ्य ने नामित व्यक्तियों के पक्ष में वास्तविक विधिक उत्तराधिकारियों को छोड़कर, जैसा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की अनुसूची 1 में उल्लिखित है, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं किया । प्रकरण के इस दृष्टिकोण से, आक्षेपित आदेश पूर्णतः गुण-दोष पर आधारित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

8. तदनुसार यह सिविल पुनरीक्षण गुण-दोषहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है ।



सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।